



राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी3/1,राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया,सिविल लाईन रेल्वे फाटक के पास,जयपुर 302005

क्रमांक:- एफ 1(7)(01043)डीपीसी/सान्याअवि/2025

जयपुर, दिनांक:-यथा ई-हस्ताक्षरित

-:: आदेश ::-

परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी तथा समकक्ष के वर्ष 2023-24 में गैर-अनुसूचित क्षेत्र (Non-TSP) की रिक्तियों पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 13.01.2025 को समिति कक्ष, शासन सचिवालय, जयपुर में आयोजित की गई।

पदोन्नति समिति द्वारा वर्ष 2023-24 में रिक्त पदों के लिये निम्नानुसार अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर छात्रावास अधीक्षक-1 (पे लेवल-8) से परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी (पे लेवल-11) के पद पर पदोन्नति हेतु अनुशंसा किये जाने पर नियमित पदोन्नति प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	वर्ग	चयन दिनांक	विशेष विवरण
1.	श्री संजय वैष्णव	UR	01.04.2023	—
2.	श्री सुरेशचन्द जाटव	SC	01.04.2023	—
3.	श्री दिनेश कुमार	UR	01.04.2023	—
4.	श्रीमती सरिता	UR	01.04.2023	—
5.	श्री दिनेश दान	UR	01.04.2023	—
6.	श्रीमती सुनिता धायल	UR	01.04.2023	—
7.	श्री सरदार गुर्जर	UR	01.04.2023	—
8.	श्री सुरेन्द्र कुमार सिंहाग	UR	01.04.2023	—
9.	श्री इन्द्रजीत पूनिया	UR	01.04.2023	—
10.	श्री पुष्पेन्द्र कुमार जागा	UR	01.04.2023	—
11.	श्री मुकेश सिंह	UR	01.04.2023	—
12.	श्री सुरेश चन्द माली	UR	01.04.2023	—
13.	श्री मुकेश कुमार शर्मा	UR	01.04.2023	—
14.	श्री गजेन्द्र प्रसाद कुमावत	UR	01.04.2023	—
15.	श्री दलीप सिंह गाट	UR	01.04.2023	—
16.	श्रीमती अनिता शर्मा	UR	01.04.2023	—
17.	श्री राजेश कुमार चौधरी	UR	01.04.2023	—
18.	श्री राजेश कुमार मीणा	ST	01.04.2023	—

समिति द्वारा निम्न कार्मिकों के अभिलेख अपूर्ण पाये जाने पर निम्नानुसार पदोन्नति डेफर/सील कवर की जाती है:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	वर्ग	रिक्ति दिनांक	विशेष विवरण
1.	श्री रमाकान्त गौतम	UR	01.04.2023	डेफर वर्ष 2018-19 तथा वर्ष 2022-23 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवर्दन अप्राप्त
2.	श्री युद्धवीर सिंह	UR	01.04.2023	सील कवर सीसीए नियम-16 के अन्तर्गत ज्ञापन क्रमांक 1578 दिनांक 29.09.2022



			विचाराधीन होने के कारण
--	--	--	------------------------

कार्मिक श्री दिनेश दान एवं श्री गजेन्द्र प्रसाद कुमावत के 01.06.2002 के पश्चात् (इस दिनांक से पूर्व सहित) 02 से अधिक संतान होने के कारण कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 की पालना में पदोन्नति उपरान्त इनको पदोन्नति लाभ अधिसूचना में दिये गये निर्देशानुसार देय होंगे।

पदोन्नत अधिकारी वर्तमान पदस्थापित स्थान पर ही कार्यभार ग्रहण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, इनको पदोन्नति का वास्तविक नगद लाभ कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से देय होगा। पदोन्नत अधिकारियों के पदस्थापन आदेश पृथक् से जारी किये जायेंगे।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(केसरलाल मीणा)

अति. निदेशक (सत. एवं प्रशा.)

जयपुर, दिनांक:—यथा ई—हस्ताक्षरित

क्रमांक:— एफ 1(7)(01043)डीपीसी/सान्याअवि/2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज0, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज0, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान, अजमेर।
4. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, शासन सचिवालय, राज0 जयपुर।
5. निजी सचिव, सचिव/आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/बाल अधिकारिता विभाग/विशेष योग्यजन विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (सत0 एवं प्रशा0), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
7. उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/अधीक्षक/बाल अधिकारिता/विशेष योग्यजन, ।
8. संस्थापन प्रशाखा (पी-1) मुख्यावास को आवश्यक कार्यवाही हेतु/एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक) को ई-मेल/वेबसाइट पर अपलोड करवाने हेतु।
9. संबंधित श्री/श्रीमती द्वारा उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी/अधीक्षक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/बाल अधिकारिता/विशेष योग्यजन, ।
10. व्यक्तिगत पत्रावली श्री/श्रीमती ।
11. आदेश पत्रावली ।

अति. निदेशक (सत. एवं प्रशा.)